उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262810

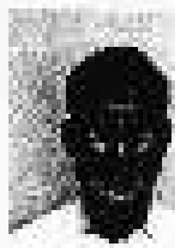

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 [illegible]/-
2.	मालियत	:	रू0 6,31,950/-
3.	स्टाम्प	:	रू0 1,81,700/-
4.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
5.	तहसील	:	बिलारी
6.	ग्राम	:	[illegible]
7.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–166 व 251
8.	माप की इकाई	:	हेक्टेयर
9.	विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.8748 हेक्टेयर
10.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
11.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
12.	बोरिंग/कूप/इंजन	:	नहीं

[illegible] राम

पच्चीस हजार रुपये

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262811

चौहद्दी

खसरा नं० 166

पूरब	: खसरा संख्या-374
पश्चिम	: खसरा संख्या-165
उत्तर	: खसरा संख्या-167
दक्षिण	: चकरोड

खसरा नं० 251

पूरब	: खसरा संख्या-252
पश्चिम	: खसरा संख्या-250
उत्तर	: सीमा ग्राम अहमदाबाद
दक्षिण	: खसरा संख्या-250, 254

नि०अ० मोती लाल

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 262372

-3-

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्षकी संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
हेमराज पुत्र नोखे निवासी– ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	बोधी लाल पुत्र सुखई, निवासी– मिर्जापुर, गिरारी, पोस्ट–नागांव, जिला–फतेहपुर, उ०प्र०। व्यवसाय – कृषि

विक्रय विलेख

यह विक्रय हेमराज पुत्र नोखे निवासी– ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे

निशानी बोधी लाल

पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262913

आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् बोधी लाल पुत्र सुखई, निवासी– मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट– नागांव, जिला– फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–166 रकबा 0.344 हेक्टेअर व खसरा संख्या–251 रकबा 0.461 का 1/2 भाग रकबा 0.2305 इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा 0.5745 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– यूसुफ नगर नगियामऊ, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त उत्पादित पंचवार्षिक [illegible] खतौनी क्रम संख्या 110

नि0अं0 बोधी लाल

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262814

व गाँव के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि खसरा संख्या-106 विक्रेता को विरासत में मिली है तथा खसरा संख्या-251 द्वारा विक्रय विलेख प्राप्त हुई है. विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की मालिक, काबिज व काश्तकार है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक

नि०अं० सोनी लाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262815

न साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय से पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रू0 18,16,340/- (रूपया अट्ठारह लाख सोलह हजार तीन सौ चालिस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता

नि0अ0 गोधी लाल

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000

भारत INDIA

Rs.15000

0388 512092

द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता मोती लाल पुत्र सुखई, निवासी– मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट– गबगांव, जिला– फतेहपुर, उ0प्र0 के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का

नि0उ0 मोती लाल

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0388 912093

कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगें। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान

[illegible] गोपी लाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का आज

नि0अं0 चौथी लाल

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

Rs 500

कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम युसुफ नगर उर्फ बगियामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा0.5745 हेक्टेयर की मालियत रु0 6,31,950/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार

नि0उ0 सोनी लाल

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 069366

विक्रय मूल्य पर ही रु० 1,81,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

नि०अं० बोधी लाल

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–166 रकबा 0.344 हेक्टेअर व खसरा संख्या–251 रकबा 0.461 का 1/2 भाग रकबा 0.2305 इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा 0.5745 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– यूसुफ नगर बगियामऊ, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

[illegible]

वि0क0 बांदी लाल

विक्रय पत्र

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री [illegible] [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी [illegible]

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक [illegible]/2/2007 समय [illegible] बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

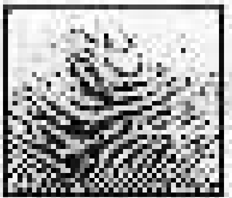

के के शुक्ला

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

[illegible]/2/2007

[illegible]

विक्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

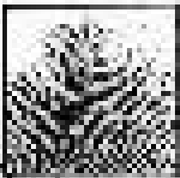

क्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

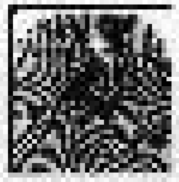

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा वकालत

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

ने की।

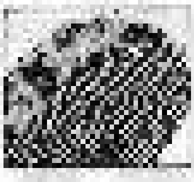

[illegible] नियमानुसार लिये गए हैं।

के के [illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]/2/2007

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 18,16,340/- (रूपया अट्ठारा लाख सोलह हजार तीन सौ चालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या क्रमशः 477798, 477799, 477800, 410501 दिनांकित 02.02.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 18,16,340/- (रूपया अट्ठारा लाख सोलह हजार तीन सौ चालिस मात्र) विक्रेता ने क्रेता में प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।
नोट : पृष्ठ संख्या -13 पर चैक संख्या पेन से लिखें है।

लखनऊ
दिनांक: 02.02.2007

गवाह

क्रेता की पहचान की।
1. Sunil Kumar Singh
S/o Sri S. C. Singh

विक्रेता

क्रेता

विक्रेता की पहचान की।
2.

टाईपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अन्वर हुसैन)
एडवोकेट

Print

Registration No 1105 Year 2007 Book No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] ...... [illegible] कम्पनी [illegible]

बायें [illegible] के अंगुलियों के चिन्ह —

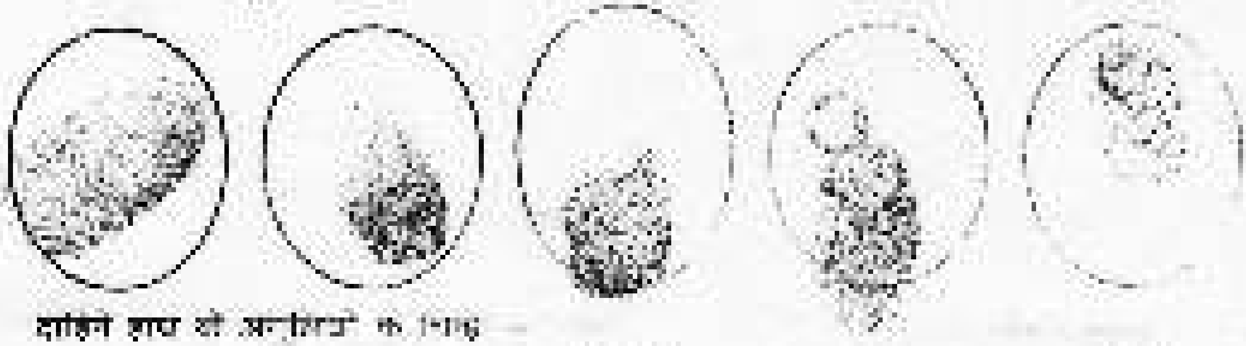

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह —

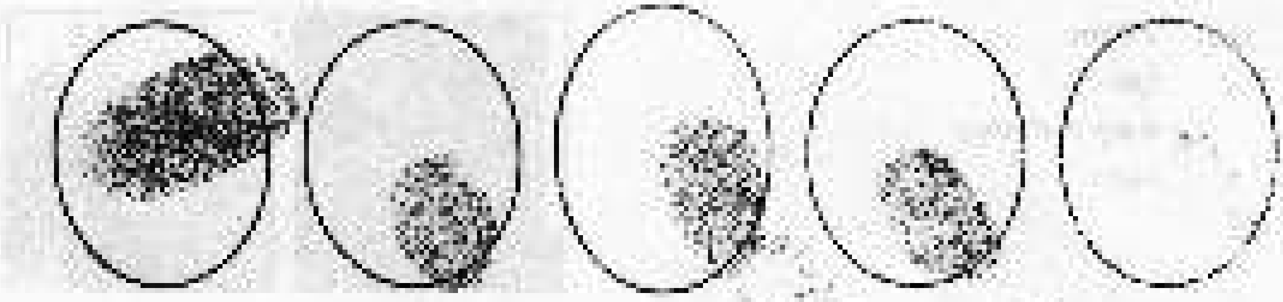

[illegible]

[illegible] : [illegible]

...... Dr. [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

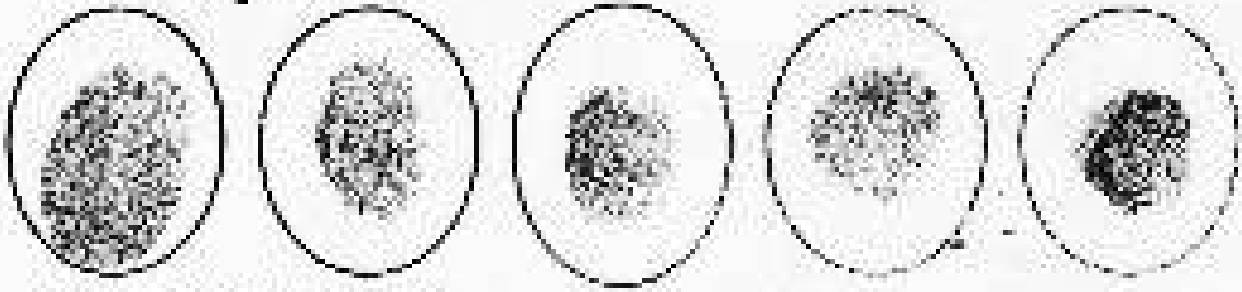

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह...

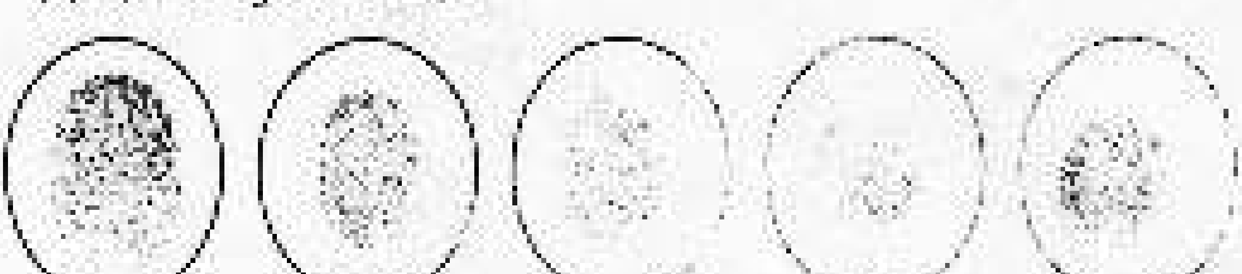

[illegible]

[illegible]

Registration No. 1159 Year 200[illegible] Book No. 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

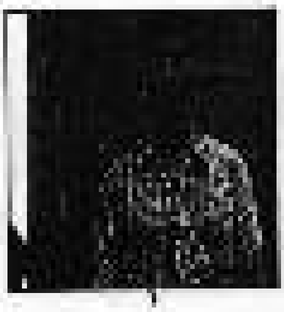

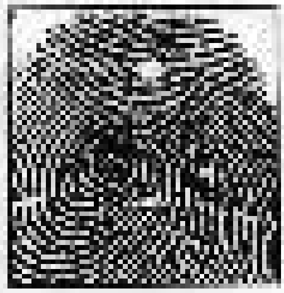

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खाता संख्या– [illegible]

विक्रेता : [illegible]

क्रेता [illegible]

विक्रेय सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

[illegible] [illegible]

आज दिनांक 06/02/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8099

पृष्ठ सं 295 से 324 पर क्रमांक 1199

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

बी के शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

6.2.2007